न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : **65/24 (वि.प्रा.पत्र)**
GCMS No : 2024/283

1. रामसिंह पिता हमेरसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी रणिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

............प्रार्थी

बनाम

1. एजिया कुंवर पुत्री प्रेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी रेडियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नवलकुंवर पत्नी प्रेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी रेडियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) (मृतक)
3. भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी रेडियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. सरदारसिंह पुत्र प्रेमसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी रेडियाखेड़ी. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. इन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह जी जाति राजपुत, उम्र वयस्क, निवासी रेडियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. पटवारी, पटवार हल्का बांसलियां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थी ।
2. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 31.10.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेडियाखेड़ी, पटवार हल्का बांसलिया, तहसील मावली. जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 200, 202, 203, 212 किता 4 कुल रकबा 0.9550 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम ... खातेदारी हक से अंकित है। आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 213 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित है।

2. यह कि उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिये रास्ता ग्राम रेड़ियाखेड़ी आने–जाने के मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 213 के उत्तरी भाग पर पूर्व से पश्चिम की और जाता हुआ 20 फीट चौड़ा रास्ता बना हुआ होकर आराजी नम्बर 212 की पूर्वी सीमा के सटमा तक बना हुआ जिससे होकर मेरे पूर्वाधिकारी एवं उनके पश्चात् मैं प्रार्थी मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर आते जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रेक्टर द्वारा हमारी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे है तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं और सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर है और इन सभी ने आपस में मिलीभगत कर दिनांक 01–07–2024 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर आये और हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजी पर बने रास्ते को ट्रेक्टर से हकाई करवा दिया तथा रास्ते को अपनी जमीन में मिलाकर उस पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया है और समझाने पर भी नही माने बल्कि मेरे साथ लडाई झगड़ा किया है। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर मुझको उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिजन अपनी–अपनी कृषि भूमि पर आ जा नही पा रहे है और न ही अपनी जमीनो की सार सम्भाल, हकाई, बाड़ वगैरा ही करवा सक रहे हैं जिससे मुझ प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही हैं। इसके अलावा मेरी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मैने मेरी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 4 को आराजी नम्बर 213 में स्थित रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व [illegible] चालु किये जाने हेतु निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 4 ने रास्ते से आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं इनके परिवार के सदस्यों ने हमारे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी की जमीनों में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 4 की खातेदारी में अंकित कृषि भूमि में से आ–जा सके उतनी चौड़ाई का अर्थात 20 फीट चौड़ा रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा / जमा कराने को तैयार हूँ।

3. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तः स्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया हैं। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 01–07–2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 4 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से उक्त भूमि पर स्थित रास्ते को हकवा कर अपनी जमीन में मिला दिया और रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर मैने विपक्षी संख्या 1 से 4 को उनकी भूमि में स्थित रास्ते से मेरी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नहीं करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 4 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमियों पर पहुँचने तक के लिए विपक्षी की भूमि में अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित भाग पर 20 फ़ीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से का[illegible] जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

गये मार्ग का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 6 व 7 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 4 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 4 उनकी भूमि में वर्णित उक्त रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में चमकीले रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 1 की यू.टी. अधिवक्ता श्री घनश्याम पालीवाल द्वारा ली गई। परन्तु जवाब एवं वकालत पत्र के पर्याप्त अवसर दिए जाने पश्चात भी पेश नही करने से अवसर बंद किया गया। विपक्षी संख्या 3, 4 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की यदि वास्तव में प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा होता तो विपक्षी संख्या 5 जो कि प्रार्थी संख्या 1 का सह खातेदार है वो भी इस बात की ताईद अवश्य करता परन्तु विपक्षी संख्या 5 ने न तो इस बात की ताईद की है और न ही विपक्षी संख्या 5 इस प्रकरण में उपस्थित हुआ है बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 5 से कृषि भूमि क्रय की और विपक्षी संख्या 5 की अन्य कृषि आराजीयात जो कि उक्त वर्णित आराजी के पूर्व दिशा में स्थित कृषि आराजीयात में से स्थित है जिससे होकर विपक्षी संख्या 5 भी रास्ते का उपयोग उपभोग कर प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में आता जाता है एवं प्रार्थी को भी उसके साथ ही अपनी कृषि आराजीयात में आवागमन हेतु उक्त रास्ता ही उपलब्ध है एवं पूर्व में खातेदार भी इसी रास्ते से उक्त कृषि आराजीयात में आते जाते थे एवं प्रार्थी को भी उसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर आने जाने का अधिकार है। चूंकि [illegible] क्षीगण संख्या 1 से 3 की भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

अनावश्यक रूप से शांति कारित कर नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है एवं वास्तविकता में प्रार्थी उसकी कृषि भुमि के उत्तर दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 5 की अन्य सहखातेदारी की कृषि आराजीयात में से होकर आते जाते थे एवं उसी रास्ते का उपयोग उपभोग करने का अधिकार है जिस रास्ते का उपयोग उपभोग विपक्षी संख्या 5 द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा वक्त खरीद से ही उसी रास्ते का उपयोग उपभोग किया जा रहा है जिसका उपयोग उपभोग विपक्षी संख्या 5 द्वारा किया जाता रहा है परन्तु प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 से 4 की कृषि आराजीयात को नुकसान पंहुचाना चाहता है एवं जिससे कि परेशान होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात को प्रार्थी को विक्रय कर दे और प्रार्थी मुख्य मार्ग पर स्थापित हो, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी उसकी कृषि भुमि के उत्तर दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 5 की अन्य सह खातेदारी की कृषि आराजीयात में से होकर आता जाता रहा है एवं उसी रास्ते का उपयोग करने का उसे अधिकार है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में जो काल्पनिक रास्ता दिखाया गया है वहां वास्तविकता में कोई रास्ता है ही नहीं और न ही प्रार्थी को नया रास्ता कायम कराये जाने का कोई अधिकार ही है।

7. अंत में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण अस्वीकार होकर खारीज योग्य है प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं न ही प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार रास्ता कायम कराये जाने का अधिकारी है और नही प्रार्थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का नहीं है न ही प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्थाई निषेधाज्ञा के लिये कोई अभिवचन ही किया है और न ही प्रार्थी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के लिये न्यायालय शुल्क ही अदा किया है एवं यदि प्रार्थी स्थाई निषेधाज्ञा की दाद प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिये प्रार्थी को अलग से वाद प्रस्तुत करना पड़ेगा इस प्रार्थना पत्र की आड़ में प्रार्थी हम विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। जिससे की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से सव्यय खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें एवं विकल्प या न्यायालय के पास प्रार्थी द्वारा चाहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

गया रास्ता दिलाने के अलावा अन्य कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होने के दशा में विपक्षीगण को रास्ते में समाहित होने वाले कृषि भूमि के बजाय रूपये अदा नहीं कर विपक्षीगण की भुमि के पश्चिम दिशा में सटमा स्थित आराजी संख्या 212 की सह खातेदारी की कृषि आराजीयात में से बराबर भूमि विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करवाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

8. तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रेडियाखेडी प.ह. बांसलिया की आराजी नम्बर 212 रकबा 0.3642 हेक्टेयर खातेदार इन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह राव 1/2 एवं रामसिंह पुत्र हमेरसिंह राव 1/2 सा. देह दर्ज रिकार्ड है। ग्राम रेडिया खेड़ी प.ह. बांसलिया के खसरा संख्या 213 रकबा 0.2833 हेक्टेयर खातेदार एजिया कुवर पुत्री प्रेमसिंह 1/6, नवल कुंवर पत्नी प्रेमसिंह 1/6, भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह 1/2, सरदार सिंह पुत्र प्रेमसिंह 1/6 हि. राव के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खातेदार रामसिंह पुत्र हमेरसिंह राजपूत के खसरा संख्या 212 में जाने का कोई भी बिलानाम रास्ता राजस्व रिकार्ड व मौका अनुसार उपलब्ध नहीं है। ग्राम रेडिया खेडी के खसरा संख्या 213 रकबा 0.2833 में से 0.0360 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। उक्त प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित भूमि की मूल्यांकन रिपोर्ट, भू अभिलेख निरीक्षक भीमल की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी प्रस्तुत की गई। निम्नानुसार गणना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

क्र. सं.	खातेदार एवं हिस्सा	हिस्सा	राशि (रूपये)
1	एजियाकुंवर पुत्री प्रेमसिंह राजपूत	1/6	11028
2	नवलकुंवर पत्नी प्रेमसिंह राजपूत	1/6	11028
3	भंवरसिंह पुत्र तख्तसिंह राजपूत	1/2	33084
4	सरदार सिंह पुत्र प्रेमसिंह	1/6	11028
योगः—			66168

9. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4 द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यो को प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 102 पर दर्ज आराजी नम्बर 200, 202, 203, 212 किता 4 कुल रकबा 0.9550 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 5 के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है। विपक्षी संख्या 3, 4 का कथन है कि तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते से प्रार्थी द्वारा कभी आवागमन नही किया गया, इस कारण से प्रार्थी को उक्त रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी का आवागमन प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा में स्थित कृषि आराजीयात से है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता ही न्युनतम दूरी का रास्ता हैं। क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है उससे खातेदार का आवगमन चाहे नही रहा हो।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी नम्बर 212 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 213 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 4 की आराजी नम्बर 213 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक भीमल की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0360 हैक्टेयर भूमि बनता है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प.13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। डीएलसी 9,19,000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दुगुनी दर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 360 वर्गमीटर के 66168 रूपये बनते है। उक्त राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 4 को दी जाकर रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम रेडियाखेडी पटवार हल्का बांसलिया तहसील मावली की आराजी नम्बर 213 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि में से 0.0360 हैक्टेयर अर्थात 360 वर्गमीटर रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 66,168/– रूपयें छयासठ हजार एक सौ अड़सठ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि न लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested

जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:25:52 IST
Reason: SelfAttested